

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 98 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

जे एम फाइनेंसियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कार्यालय 7 तल, सनेर्जी,  
 अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र-400025  
 जरिये प्राधिकृत अधिकारी जगदीश मीणा

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. श्रीकिशन नारायण राम पुत्र नारायण राम, सरवरी, सीकर, राजस्थान-332030
2. मंजू देवी पत्नी श्रीकिशन नारायण राम, वार्ड नं. 4, सरवरी, सीकर, राजस्थान  
 —अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)


The application under section 14 of the securitisation and reconstruction  
 of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 17 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री बाबूलाल मील द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः श्रीकिशन नारायण राम पुत्र नारायण राम एवं मंजू देवी पत्नी श्रीकिशन नारायण राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय परिसर न. 95, मोबाईल टावर के पास, वार्ड नं. 7, ग्राम सरवरी, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान-332030 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 136.31 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में सांवरमल का रास्ता, पश्चिम दिशा में राजू सामरिया का घर, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में बजरंग लाल सांखला का घर

  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹6,45,000/- रुपये (अक्षरे रुपये छः लाख पैंतालीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.11.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।



4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.11.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **श्रीकिशन नारायण राम पुत्र नारायण राम एवं मंजू देवी पत्नी श्रीकिशन नारायण राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय परिसर न. 95, मोबाईल टावर के पास,**

  
**(मुकुल शर्मा)**  
**जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**

वार्ड नं. 7, ग्राम सरवरी, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान-332030 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 136.31 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में सांवरमल का रास्ता, पश्चिम दिशा में राजू सामरिया का घर, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में बजरंग लाल सांखला का घर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर